शिविर कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांक / 3506 / कृषि–4 / कोरो0 पत्रा0 / 2019–20 / दिनांक 31 मार्च 2020.

–:: कार्यालय आदेश ::–

कोराना वायरस के रोकथाम के सम्बन्ध में फसलों की कटाई / मड़ाई विषयक कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–41 / कृ0उ0आ0 / 2020 दिनांक–29.03.2020 एवं प्रमुख सचिव (कृषि) उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2 / पीएसए(जी) / कैम्प / 2020 दिनांक–29.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उपरोक्त विषयक निर्देश प्रसारित किया गया है।

प्रमुख सचिव (कृषि) के पत्रांक–806 / पीएसए(जी) / कैम्प / 2020 लखनऊ दिनांक–30 मार्च 2020 के कम में निम्न बिन्दुओं पर कटाई / मड़ाई सम्बन्धी आवश्यक निर्देश स्पष्ट किये जाते है :–

1. यदि कम्बाईन हार्वेस्टर किसी जनपद में उपलब्ध है वह चाहे अन्य जनपद / अन्य प्रदेश में पंजीकृत हो, उनकी उपलब्धता के जनपद में हार्वेस्टर अपने ड्राइवर, तकनीशियन / श्रमिक ट्रैक्टर ट्राली सहित उस जनपद में, जहॉ भौतिक रूप से उपलब्ध है, उनमें बिना पास / अनुमति के कटाई / मड़ाई का कार्य करते रह सकते हैं। यदि अन्य जनपद में जाने की दशा में ही उन्हें अनुमति / पास की आवश्यकता होगी।
2. यदि किसानों व मजदूरो द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग मेन्टेंन करते हुए अपने गॉव / क्षेत्र में कटाई / मड़ाई किया जा रहा है उनको भी किसी प्रकार के पास / अनुमति की बाध्यता न की जाये।

उक्त निर्देश दिनांक–30.04.2020 तक के लिए प्रभावी होगें। शेष बिन्दु / निर्देश सन्दर्भित शासनादेश के अनुरूप प्रभावी होगें।

(डा0 ब्रह्मदेव राम तिवारी)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर

पृष्ठाकन सं0 /   / उक्तदिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव (कृषि) उ0प्र0 शासन लखनऊ की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
6. अपर जिलाधिकारी (वि / रा0) कानपुर नगर।
7. प्रभारी अधिकारी जिला कन्ट्रोल रूप, कानपुर नगर।
8. पुलिस अधीक्षक नगर / ग्रामीण / ट्रैफिक जनपद कानपुर नगर।
9. संयुक्त कृषि निदेशक, कानपुर मण्डल कानपुर।
10. उप कृषि निदेशक, कानपुर नगर।

पृष्ठ–2 पर

11. अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत) कानपुर नगर।
12. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
13. समस्त उपजिधिकारी, कानपुर नगर।
14. समस्त क्षेत्राधिकारी, जनपद कानपुर नगर।
15. उप निदेशक (सूचना) जनपद कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
16. जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर नगर।
17. जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर नगर।
18. जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी कानपुर नगर।
19. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कानपुर नगर।
20. समस्त थानाध्यक्ष जनपद कानपुर नगर।

जिलाधिकारी
कानपुर नगर